


7



C. No. 58
Deficit C.R.
No. 101 -

न्यायालय द्वारा स्व मंळ ग्वालियर R 262-III/98
199-44

रिक्वीजन कृ.

लगनाथ पिता श्री काशीरामजी चमार उम्र लगभग 40 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी नारिया बुजुर्ग तहसील गरीठ
विहद - प्रार्थी

हीरालाल पिता श्री उदैरामजी मीणा वयस्क निवासी
नारिया बुजुर्ग तहसील गरीठ जिला मन्डसौर

- विपक्षी

रिक्वीजन अन्तर्गत धारा 40 म.प्र.म.रा.सं. विहद
आदेश न्यायालय कमिश्नर महोदय उज्जैन जी अपील
क्रमांक 2081.46-49 में दिनांक 3 नवम्बर 49 को
पारित किया गया ।

37/11/98

37/11/98 AS

380262
10/98

09.02.98
09.02.98
महोदय उज्जैन जी

Handwritten signature

R 262-~~33~~ 98 मंदसौर
रोगनाथ / हीठवाड़ा

7.2.2017

आवेदक की ओर से श्री एस. पी. एच. पी. चण्ड आयोगिक एवं आवेदक की ओर से श्री एस. के. अग्रणी आयोगिक उपस्थित। इनके उक्त प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में आयोगिक का अवरोधक किया गया। आयोगिक द्वारा इस आधार पर आदेश जारी किया गया है कि अनुक्रमिक आवेदक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जैसे उक्त कक्षा इन कक्षा का आदेश दिया गया है, है

अग्रणी
7.2.17

जबकि कक्षा के अर्जित कक्षा इन कक्षा का आवेदक पर ग्राह्य नहीं होता है, पाठ्य उक्त उक्त विवेचना नहीं की गई है। अतः, आयोगिक का आदेश दिनांक 3.11.97 निरस्त किया जाकर प्रकरण सुनवाई पर उभय पक्ष को सुनवाई निराकरण क्रिये जाने हेतु प्रभावित किया जाता है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
अध्यक्ष